



परिशिष्ट-2
कृपया नियम 7(एफ) देखें
उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश
“उपदान पर उद्यान सामग्री/उपदान सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र”

योजना का नाम.....

उद्यान कार्ड संख्या.....

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....जाति.....वर्ग.....गांव.....
डाकघर..... ग्राम पंचायत.....विकास खण्ड.....जिला..... का/की निवासी हूं तथा मेरे पास.....बीघा....
..... बिस्वा भूमि है इसमें से.....बीघा बिस्वा भूमि फलोद्यान के अधीन है। मुझे निम्नलिखित उद्यान सामग्री/ उपदान सहायता की आवश्यकता
है। अतः मुझे निम्नलिखित उद्यान सामग्री पर उपदान/उपदान सहायता देने की कृपा करें:-

क्र. स.	सामग्री/उपदान सहायता का विवरण	मात्रा	दर	कुल राशि	उपदान राशि	प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा सिफारिश की गई मात्रा/उपदान सहायता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
4.						

हस्ताक्षर प्रार्थी

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थीसुपुत्र/सुपुत्री श्री.....गांव.....
सामान्य/लघु/सीमान्त/अनुसूचित/जनजाति/आई.आर.डी.पी./पिछड़े वर्ग का है तथा उसके पास.....बीघा.....बिस्वा भूमि है। अतः उपरोक्त कालम नं0 7 में
अंकित सामग्री पर उपदान/उपदान सहायता देने की सिफारिश की जाती है।

पटवारी हल्का

हस्ताक्षर प्रधान ग्राम पंचायत
मोहर

(कार्यालय प्रयोग हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी को निम्नलिखित उद्यान सामग्री/उपदान सहायता दे दी गई है:-

क्र. स.	सामग्री/उपदान सहायता का विवरण	मात्रा	दर	कुल राशि	उपदान/ उपदान की सीमा	उपदान/सहायता राशि (रुपयों में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.						
3.						
4.						

हस्ताक्षर उप निदेशक उद्यान/
विषय वस्तु विशेषज्ञ.....
जिला.....,हि0प्र0

हस्ताक्षर वितरणकर्ता/उद्यान प्रसार अधिकारी/
उद्यान विकास अधिकारी.....
प्रसार वृत्त/विकास खण्ड.....

(नोट:- 5000/- रुपये से अधिक मूल्य का उपदान/उपदान सहायता प्राप्त करने हेतु नियमानुसार बाण्ड फार्म प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)